



पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, भुज  
अंतर कार्यालयीन ज्ञापन/Inter Office Memo



प्रेषक : उप-महाप्रबन्धक (टीएल), भुज

सेवा मे : केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (प.क्षे.०-II), वडोदरा

संदर्भ : WRTS-II/भुज /765Kv/BBTL//

दिनांक : 27.12.2018

विषय : आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 के अंतर्गत जानकारी प्रेषित करने बाबत।


सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आवेदक कर्ता श्री रणछोड़ धना रवा गागल, ग्राम-जवाहरनगर, तालुका-भुज, जिला-कच्छ द्वारा 765 के.व्ही. डबल सर्किट भुज-बनासकांठा पारेषण लाईन निर्माण अंतर्गत जवाहरनगर, तालुका-भुज जिला-कच्छ में आने वाले टॉवर के भूमि डीम्यूनियेशन/फसल मुआवजा सम्बंधित जानकारी चाही गयी है। जिसका जवाब अनुलग्न-1 के रूप में संलग्न है।

कृपया दिए जाए जवाब को अनुसार क्षेत्रीय केंद्रीय सूचना अधिकारी और क्षेत्रीय विधि विभाग द्वारा सूचना अधिकार नियम 2005 के अनुरूप पूर्ण रूप से जांच किए जाने बाद ही संबन्धित आवेदक को प्रेषित करने का कष्ट करे।

उपरोक्त जानकारी आपकी आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

सधन्यवाद।

संलग्न: उपरोक्तानुसार।

  
(रूपेश के.पी.)

आवेदक : रणछोड़ धना गागल

पता : ग्राम : जवाहरनगर , ता : भुज, जि : कच्छ.

बिन्दुवार मांगी गयी जानकारी का जवाब निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	आवेदक द्वारा मांगी गई जानकारी	जवाब
1	जवाहरनगर ग्राम में आने वाले टावर का सर्वे नंबर मय मालिक की जानकारी दी जाए ।	जवाहरनगर ग्राम में कुल 14 टावर आते हैं जिन में से 2 टावर की मालिकी साबित नहीं हुई है बाकि 12 टावर की जानकारी सर्वे नंबर सहित संकलित है ।
2	जवाहरनगर ग्राम में आने वाले टावर का सर्वे नंबर में किसको कितना मुआवजा दिया गया मय मालिक की जानकारी की जानकारी दी जाए ।	जवाहरनगर ग्राम में कुल 14 टावर आते हैं जिन में से 2 टावर की मालिकी साबित नहीं हुई है बाकि 12 टावर के निचे की जमीन की कुल RS:-3633398/- रकम दी गई है। सूचना अधिनियम (RTI Act) 2005 की खंड 8(i)(J) के तहत किसी अन्य व्यक्ति / पक्ष की जानकारी प्रदान नहीं की जा सकती है ।
3	जवाहरनगर ग्राम में आने वाले टावर का किसको कितना फसल का मुआवजा दिया गया की जानकारी दी जाए ।	टावर के निर्माण के समय हुई फसल नुकसानी का मुआवजा होने वाले क्षतिग्रस्त क्षेत्रफल के अनुसार देये है जो की खेत में लगी हुई फसल की दर पर आधारित है । फसल की दर मामलादार भुज द्वारा परमानित की गई है , प्रति संकलित की गयी है ।  बाकी की जानकारी सूचना अधिनियम (RTI Act) 2005 की खंड 8(i)(J) के तहत किसी अन्य व्यक्ति / पक्ष की जानकारी प्रदान नहीं की जा सकती है ।
4	जवाहरनगर में जो टावर सरकारी जमीन में आये है उनका मुआवजा किसको दिया गया जानकारी दी जाए ।	जवाहरनगर ग्राम में कुल 14 टावर आते हैं जिन में से 2 टावर की मालिकी साबित नहीं हुई है। सरकारी जमीन में आने वाले टावर का मुआवजा किसी को देये नहीं है ।

2/11/20

क्र. सं.	आवेदक द्वारा मांगी गई जानकारी	जवाब
5	जवाहरनगर में टावर लगाते समय जो GUY ROPE लगाया गया उसका सर्वे नंबर मय मुआवजे की रकम की जानकारी दी जाए ।	Guy rope लगाते समय जो फसल नुकसान हुआ है उसका मुआवजा नियमानुसार दिया गया है ।  बाकि की जानकारी ,सूचना अधिनियम (RTI Act) 2005 की खंड 8(i)(J) के तहत किसी अन्य व्यक्ति / पक्ष की जानकारी प्रदान नहीं की जा सकती है।
6	जवाहरनगर ग्राम में आने वाले टावर के सर्वे नंबर में किसको कितना मुआवजा दिया गया मय मालिक की जानकारी की जानकारी दी जाए ।	जवाहरनगर में आने वाले टावर का सर्वे नंबर मय मालिक की सूची संकलित की गई है । बाकि की जानकारी सूचना अधिनियम (RTI Act) 2005 की खंड 8(i)(J) के तहत किसी अन्य व्यक्ति / पक्ष की जानकारी प्रदान नहीं की जा सकती है ।

प.प्र. उ.प.  
P.N.M. - Bhuj

पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड  
(भारत सरकार का उद्यम)  
**POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED**  
(A Government of India Enterprise)



"आय.एस.ओ. 9001 : 2000 प्रमाणित कंपनी" - "I.S.O. 9001 : 2000 Certified Company"

प्लॉट सं.54,रिया रेवती रिसोर्ट के पास,अम्बे विद्यालय के सामने समां सावली रोड, वडोदरा-390008(गुजरात)  
Plot No.54, Adjacent to Riya-Revati Resort, Opp Ambe Vidhyalaya, Sama Savli Road  
Vadodara - 390008(Gujarat) [averma@powergridindia.com](mailto:averma@powergridindia.com) दूरभाष:/Phone: (O) 0265-2712631

पश्चिम क्षेत्र पारेषण प्रणाली-II, क्षेत्रीय मुख्यालय  
Western Region Transmission System - II, Regional Headquarters

सन्दर्भ :प.क्षे.-II/जन सूचना/

दिनांक : 20.12.2018

सेवा में,

Shri. Ranchod Ghana Rawa Gaagal  
Village - Jawahar Nagar,  
Taluk Bhuj,  
Dist Kutch  
Gujarat  
Mob : 9825878956

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत जानकारी।


महोदय,

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आपका द्वारा प्रेषित आवेदन पत्र (1 NOS) दिनांक : 07-12.2018, इस कार्यालय में दिनांक 20.12.2018 को प्राप्त हुआ। आपने आवेदन पत्रों में रु.10/- का फी संलग्न नहीं किया है।

विदित हो कि "पावरग्रिड" केन्द्रीय सरकार का उद्घम है। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत इस संस्थान से जानकारी प्राप्त करने हेतु हर एक आवेदन पत्र के साथ रु.10/- की फी (रजिस्ट्रेशन हेतु) जमा करना है, जो बैंकर्स चेक / डिमांड ड्राफ्ट / पोस्टल आर्डर के माध्यम से दी जा सकती है।

आपसे अनुरोध है कि आवेदन के साथ उपरोक्त लिखित माध्यम से फीस जमा करे जो " पावरग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड " के नाम से एवं वडोदरा में देय हो। अतः आपका आवेदन पत्रों का जवाब, रजिस्ट्रेशन फी उचित माध्यम से प्राप्त होने के बाद प्रेषित किया जायेगा।

धन्यवाद।

  
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी 20/12/18  
पश्चिम क्षेत्र - II, वडोदरा

प्रतिलिपि :-

1. कार्यपालक निदेशक, प.क्षे.-II, वडोदरा - सादर सूचनार्थ
2. मु.प्रबंधक (सतर्कता), प.क्षे.-II, वडोदरा
3. DGM Bhuj with a request to arrange reply immediately.

- (૧) મોજે : જવાહરનગર ગામે જે ટાવર(થાભલા) નાખવામાં આવેલ છે તે કયા સર્વે નંબરમાં ટાવર રાખવામાં આવેલ છે તે સર્વે નંબર સહિત ની માહિતી નામ સહિત ખરી નકલમાં આપવી.
- (૨) મોજે : જવાહરનગર ગામે જે ટાવર(થાભલા) નાખવામાં આવેલ છે તે સર્વે નંબરવાઈઝ કોને કેટલો વડતર ચુકવવામાં આવેલ છે તેની માહિતી ખરી નકલમાં આપવી.
- (૩) મોજે : જવાહરનગર ગામે જે ટાવર(થાભલા) નાખવામાં આવેલ છે તે ના માટે જે મીઠા ઝાડ તથા ખેતીના પાક તેમજ બાગાયતી પાકનો શું વળતર આપવામાં આવેલ છે તેની માહિતી ખરી નકલમાં આપવી.
- (૪) મોજે : જવાહરનગર ગામે જે ટાવર(થાભલા) નાખવામાં આવેલ છે તે તે સરકારી ખરાબામાં રાખવામાં આવેલ છે અને તેનો વળતર કોને આપવામાં આવે છે તેની માહિતી ખરી નકલમાં આપવી.
- (૫) મોજે : જવાહરનગર ગામે જે ટાવર(થાભલા) નાખવામાં આવેલ છે તે ટાવર્સ ના ડોરડા બાંધવામાં આવેલ તેનો કયા સર્વે નંબર વાઈઝ કેટલી રકમ ચુકવવામાં આવી છે તેની નામવાઈઝ માહિતી ખરી નકલમાં આપવી.
- (૬) મોજે : જવાહરનગર ગામે જે ટાવર(થાભલા) નાખવામાં આવેલ છે ખેડુતોને પાવરગ્રીડ કોર્પોરેશન દ્વારા જે ખેડુતોને વળતર આપવામાં આવેલ છે તે સર્વે નંબરવાઈઝ , ખેડુતના નામ વાઈઝ, વળતરની રકમ ની માહિતી ખરી નકલમાં આપવી.

૪. આ અરજી રૂ.૨૦ ના સ્ટેમ્પ પેપર ઉપર કરેલ છે.

૫. હું આથી જાહેર કરું છું કે, હું ભારતીય નાગરીક છું.

૬. હું આથી જાહેર કરું છું કે ઉપરની વિગતો મારી જાણ અને માન્યતા અનુસાર સાચી છે.

૭. હું બી.પી.એલ. લાભાર્થી છું.

તા: ૦૭-૧૨-૨૦૧૮

સ્થળ :- ભુજ-કચ્છ.

અરજદારની સહી

૨૬/૧૨/૨૦૧૮

રણછોડ ધના રવા ગાગલ  
(મો.નં.૯૮૨૫૮ ૭૮૯૫૬)

૭૪૨૬૪૭૪૧૬૬

Sr. No.	Tower no	Survey no	Name of farmer	Village
1	11/14	778	Hari Hamir	JAWAHARNAGAR
2	11/15	781	Dhulabhai savabhai gagal	
3	11/16	771	DHANJI RAVA GAGAL	
4	12/0	767/p2	Gagal jasiben valjibhai	
5	12/1	429	Dhanji velji chad	
6	12/2	271	MANJUBEN BHACHAYA SUTHAR	
7		92	RANCHOD RUPA GAGAL	
8	12/5	91	NATHA KAMA SARANG RABARI	
9	12/6	84	DEVA RAVA CHHANGA	
10	12/7	43	MERAMAN KANA RAMA	
11	12/8	36/P3	Vikram bhura kerasiya	
12	12/9	33	Suleman osman suna	
13	12/10	29	RAMESH VHAGBHAI GADAVI	

*[Signature]*  
Asst. Manager, Bhij

*[Signature]*  
Dnm-Bhij

No. JMN/VASHI/3863/16

Office of Mamlatdar,  
Bhuj-kutch,


Date:- 14/09/2016  
14 10

To  
Engineer (construction)  
PGCIL,  
bhuj.

**Sub:- The compensation recommended for the installation of transmission line.**

It is to be mentioned that the following compensation is recommended to be paid TO THE FARMERS OF BHUJ TALUKA TOWARDS THE DAMAGE TO THEIR CROPS DURING THE INSTALLATION Of transmission line in BHUJ Taluka.

Name of Crops	Production per Hec./Kg	Cost of Crop/kg	Production in Rs./Hec.	Compensation/sq.meter
castor	4000	50	200000	60
Til	800	135	108000	30
Wheat	5000	20	100000	30
Cotton	4000	55	220000	66
Mung	1000	55	55000	15
Muth	700	54	37800	12
Jiru	1200	120	144000	45
Groundnut	1800	40	72000	24
Raydo	2500	35	87500	24
Bajara	3000	15	45000	20
Juvar	1500	14	280000	17
Guvar	1200	175	210000	60
mindiyavad	2400	40	56000	15

  
Mamlatdar bhuj